# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2911/2023**

हरिशंकर आचार्य **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 12.10.2023
**आदेश की दिनांक** : 26.10.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री संदीप शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.09.2023 व 05.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बाड़मेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की शिकायत की गई थी कि वह भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीकानेर में अनियमित रूप से वोटर लिस्ट तैयार कर रहा था और जिसके आधार पर अपीलार्थी की शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर ही उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए मुख्यालय जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया, जो नियम एवं स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है। उनका कथन है कि वर्तमान स्थान पर 3 वर्ष से कम

पदस्थापित होने पर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अल्पावधि की श्रेणी में होने के कारण नियम विरूद्ध जारी आदेश है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.09.2023 व 05.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बीकानेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.09.2023 व 05.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बाड़मेर किया गया है। अनुलग्नक–5 के पृष्ठ संख्या 27–28 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 02.06.2023 के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना प्रकट होता है, जिसमें हमारे मत में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**